20/06/2017 पत्रावली वास्ते लोक अदालत केस बाद पेश किया।

पर प्रस्तुत हुई। वकील विपक्षी उपस्थित।

वकील वादी-द्वारा प्रा.प. 151 का जवाब पेश

नहीं किया है एवं पूर्व अनडिसाईड प्रा.प.

धारा-11 होता प्रा.प. पर बहस उभय पक्षीन

सुनी गई।

सारांश प्रा.प. 11 इस प्रकार है कि विपक्षी

भानु देवी द्वारा उक्त प्रा.प. पेश कर निवेदन

किया गया कि विवादित ख.न. 1053/2, 1054/1,

1054, 1065 रकबा-4 कुल रकबा 8 बीघा

2 बीसवा का पक्षकारान में आपसी तौर पर मौखिक

विभाजन हो रखा है तथा उसी अनुसार काबिज

काश्त हैं मेरा पति ने अपना 1/4 हिस्सा

1 लाख में दि. 27/6/2001 को विक्रय इकरार

तय किया, विक्रय पत्र निष्पादित किया किन्तु

उसका पंजीयन नहीं हो सका। केवल स्वयं

की मृत्यु हो चुकी है किन्तु उसने मृत्यु पूर्व

कब्जा प्रति. सं. 1 को सुपुर्द कर दिया

था। अब वादीगण के मन में बदनीयती

आ जाने से भूमि अन्य व्यक्ति को

हस्तान्तरण करना चाहते है जिसका नोटिस

दावा प्रति. सं. 1 ने SDO निम्बाहेड़ा कोर्ट

में धारा बटवारा दावा पेश किया था अतः

पेश किया जो [illegible] में

दि. 29/12/2008 को [illegible]

जिससे असन्तुष्ट होकर [illegible] द्वारा उस

निर्णय की अपील RAA चित्तौड़गढ़ में

पेश की जिसका क्रमांक 42/2009 होकर

→

→

स्वीकृत की गई तथा प्रकरण 300 कोर्ट निर्वादग्रस्त को प्रतिप्रेषित की गई जिसके विरुद्ध श्रीमति अन्नूदेवी ने अपील मा. राजस्व मण्डल अजमेर में पेश की जिसके नम्बर टीए/5141/2010 होकर विचाराधीन है। इसी प्रार्थीयान को लेकर वाद वादीगण द्वारा पेश किया गया है जिस पर रेसज्युडिकेटा का सिद्धान्त लागू होने से वाद निरस्त किये जाने योग्य है अतः प्र.प. स्वीकार कर खारिज किया जावे।

प्रा०प० के खण्डन में वादी की ओर से जवाब प्रस्तुत तथ्यों को आंशिक अस्वीकार करते हुए प्रा०प० में जिन किया गया कि प्रतिवादी द्वारा प्रा०प० में जिन प्रकरणों के तथ्यों को उठाया गया है उन प्रकरणों में अंतिम रूप से कोई निर्णय नहीं हुआ है तथा केसरों लाल ने अन्नू देवी को भूमि विक्रय करने सेवानी कुमार नामक निर्वादित करने का तथ्य भी अस्वीकार है इसलिए प्रकरण पर रेसज्युडिकेटा का सिद्धान्त लागू नहीं होते हैं।

श्रीमती अन्नू देवी की ओर से उक्त प्रा.प. के विचाराधीन रहते एक प्रा.प. 151 सीपीसी की भी वादी का ओर प्रस्तुत किया गया जिसमें भी वही तथ्य उठाये गये जो कि प्र.प. आदेश 7 नियम 11 में उठाये गये हैं जिसका सारांश इस प्रकार है कि विवादित भूमि के संबंधी वाद पूर्व में निर्णीत हो चुका तथा अब मामला माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन होकर अपील नम्बर TA/5141/2010 है। जब तक मण्डल से निर्णय पारित नहीं हो जाता इस प्रकरण में कार्यवाही स्थगित की जावे।

प्रस्तुत [illegible] पत्रावली पर उपलब्ध [illegible] का अवलोकन किया गया। [illegible] में यह तथ्य प्रमाणित [illegible] है कि इस्तगासा वाद में वर्णित विवादित भूमि [illegible]

→

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.12.31 16:18:24 IST
Reason: SelfAttested

20/6/17

→ -

1053/2 , 1054/1 , 1064 , 1065 कित्ता - 4 कुल रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा मौजा नाहरखेड़ा के संबंध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा से प्र० क्र० 259/2004 में दि० 29/12/2008 को निर्णय पारित किया गया है जिसकी अपील श्री. न्याया० राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़ में दर्ज जिसके प्र० क्र० 42/2009 होकर उक्त निर्णय दिनांक 26/5/2010 से प्रकरण पुनः प्रतिप्रेषित किया गया तथा अब माननीय राजस्व मण्डल में अपील होकर प्रकरण TA 5141/2010 है तथा लंबित है। धारा-11 में स्पष्ट प्रावधान है कि जहां किसी भी विषयवस्तु को लेकर वाद विचारण हो चुका है तो उसी विषयवस्तु को लेकर पक्षकारगण का पश्चातवर्ती वाद लाने पर उस पर विचार नहीं किया जा सकेगा। हस्तगत प्रकरण इसी धारणा का उदाहरण प्रस्तुत करता है। तथा पश्चातवर्ती वाद होने से प्रकरण में कार्यवाही स्थगित किया जाना उचित होगा। अतः प्रतिवादी संख्या 1 धन्नूदेवी द्वारा प्रस्तुत प्रा० पत्र धारा-11 स्वीकार किया जाता है तथा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन अपील 5141/2010 के निर्णय तक प्रकरण में कार्यवाही स्थगित की जाती है। निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.12.31 16:18:24 IST
Reason: SelfAttested

6.17

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, चित्तौड़गढ़